

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-6 -73 / 13..... / राँची, दिनांक : ..... /

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>आई.डी. कोड/जन्म<br>तिथि/ वर्तमान<br>पदस्थापन/                  | नियुक्ति<br>की तिथि | 12 वर्ष की सेवा<br>पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप<br>ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत<br>प्रथम वित्तीय<br>उत्क्रमण वेतनमान<br>6500-10500 देय<br>तिथि | 24 वर्ष की सेवा<br>पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप<br>ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत<br>द्वितीय वित्तीय<br>उत्क्रमण<br>वेतनमान<br>10000- 15200<br>देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                    | 3                   | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                      | 6         |
| 1       | श्री गणेश प्रसाद सिंह<br>जे 4609/ग्रामीण<br>विकास विशेष प्रमण्डल,<br>बोकारो/09.11.56 | 30.01.79            | 09.8.1999                                                                                                                                       | 30.01.03                                                                                                                                               |           |

2. इन कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, हजारिबाग/कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकरो को श्री गणेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता का सेवापुस्त तीन भाग मूल के साथ/संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

( मनोज कुमार )

अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

7370

राँची, दिनांक :- 7-12-13

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।



( मनोज कुमार )

अवर सचिव (प्र.)

7/12/13

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03/सम्पुष्टि-06-72/2013..... / राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति एवं ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

प्रथम कालबद्ध एवं प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. सम्पुष्टि हेतु कनीय अभियंता की सूची।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/आई.डी. कोड/जन्म<br>तिथि/ वर्तमान<br>पदस्थापन/ नियुक्ति तिथि          | नियुक्ति<br>की तिथि | आदेश का<br>प्रसंग | 12 वर्ष की सेवा पूर्ण<br>करने के फलस्वरूप<br>ए.सी.पी. योजना के<br>तहत स्वीकृत प्रथम<br>वित्तीय उत्क्रमण<br>वेतनमान् 6500-10500<br>देय तिथि | 24 वर्ष की सेवा पूर्ण<br>करने के फलस्वरूप<br>ए.सी.पी. योजना के<br>तहत स्वीकृत द्वितीय<br>वित्तीय उत्क्रमण<br>वेतनमान् 10000-<br>15200 देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                           | 3                   | 4                 | 5                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                              | 7         |
| 1       | श्री श्रीकान्त पाण्डेय/<br>5531/04.03.59/ग्रामीण<br>विकास विशेष प्रमंडल,<br>कोडरमा/06.02.79 | 06.02.89            | 5564/<br>27.08.90 | 09.08.99                                                                                                                                   | 06.02.03                                                                                                                                       |           |

2. इन कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, हजरीबाग/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कोडरमा को श्री श्रीकान्त पाण्डेय कनीय अभियंता का सेवापुस्त दो भाग (मूल) के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

7418

राँची, दिनांक :- 10-12-13

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र०)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-74 / 2013..... / राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम<br>/आई.डी. कोड/जन्म तिथि/<br>कार्यालय का नाम                    | नियुक्ति की<br>तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के<br>फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना<br>के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय<br>उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं<br>वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे<br>रू. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                   | 4                                                                                                                                                                                 | 5         |
| 1       | श्री सुरेन्द्र शर्मा<br>4899 / 04.01.54 / ग्रामीण<br>विकास विशेष प्रमंडल, जामताड़ा | 06.02.79            | 06.02.09                                                                                                                                                                          |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची / अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, दुमका / कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जामताड़ा / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 7419

राँची, दिनांक :- 10-12-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)